राजस्थान सरकार

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक : प.17(1)/नविवि/अभियान/2021/ जयपुर, दिनांक : 21 SEP 2021

प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के संचालन हेतु गठित राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति की 7वीं बैठक दिनांक 14.09.2021 का कार्यवाही विवरण

प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के प्रभावी क्रियान्वयन, हेतु डॉ0 जी.एस.संधु (सेवानिवृत आई.ए.एस) सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 19.08.2021 को 7वीं बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य स्तरीय स्टेरिंग समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्री भवानी सिंह देथा, शासन सचिव, स्वायत शासन विभाग, जयपुर।
2. श्री गौरव गोयल, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. श्री दीपक नन्दी, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
4. श्री आर.के. विजयवर्गीय, मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. श्री मनीष गोयल, संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, नगरीय निकाय विकास विभाग।

विशेष आमन्त्रित :–

1. श्री पवन अरोड़ा, आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. श्री यज्ञमित्र सिंह देव, आयुक्त, नगर निगम, जयपुर (ग्रेटर)
3. श्री अवधेश मीणा, आयुक्त, नगर निगम, जयपुर (हेरिटेज)
4. श्री एच.एस.संचेती, सेवानिवृत मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. श्री वी.के. दाधीच, विशेषाधिकारी, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत शासन विभाग, जयपुर।
6. अन्य अधिकारीगण, नगरीय विकास विभाग/नगर नियोजन विभाग/नगर निगम, जयपुर।

एजेण्डा संख्या 01:–बैठक में आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अभियान के दौरान किये जाने निम्न कार्यों के संबंध में अवगत कराया गया :–

- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अभियान के दौरान 20 कार्य सम्पादन हेतु सूचीबद्ध किये गये है। जिनमें से प्रमुख 6 कार्यों– नाम हस्तान्तरण, आवंटन पत्र जारी करना, अदेयता प्रमाण पत्र जारी करना, आवंटियों की बकाया राशि की जानकारी देना, धरोहर राशि (सिक्योरिटी डिपोजिट) लौटाना, पट्टा जारी करना को अभियान की प्रगति में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया।
- श्री अरोड़ा द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य के नगरीय क्षेत्रों हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा एक 'मोबाईल ऐप्प' तैयार किया गया है। जिसके माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हो सकेगी कि विभिन्न स्थानों पर किन–किन श्रेणी के आवास की आवश्यकता है। मोबाईल एप्प पर प्राप्त फीडबैक से आवासन मण्ड़ल द्वारा योजनाऐं बनाई जा सकेगी। तद्नुसार राजस्थान आवासन मण्डल उक्त निकाय क्षेत्र में राजकीय/निजी भूमि का चिन्हीकरण कर फ्लैट/मकान निर्मित कर सकेगा।
- उक्त 'मोबाईल एप्प' की लौंचिंग 2 अक्टूबर, 2021 को किये जाने का निर्णय लिया गया।
- साथ ही अभियान की वैबसाईट/पोर्टल पर राजस्थान आवासन मण्डल को लिंक किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 02:– राजस्थान आवासन मण्डल एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम, जयपुर (ग्रेटर/हेरिटेज) को हस्तान्तरित की गई कॉलोनियों के रख–रखाव के संबंध में–

वर्तमान में राजस्थान आवासन मण्डल एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटन एवं नीलामी द्वारा विक्रय किये गये भूमि/भवनों से प्राप्त विक्रय राशि का 15 प्रतिशत हिस्सा राशि निगम में हस्तांतरित किये जाने का प्रावधान है। आयुक्त, नगर निगम, जयपुर (ग्रेटर) द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त राशि अप्रयाप्त रहती है, जिससे नगर निगम, जयपुर को हस्तान्तरित कॉलोनियों के रख–रखाव में काफी समस्याऐं उत्पन्न हो रही है। इस संबंध में विचार–विमर्श उपरान्त निम्नानुसार निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया–

(i) राजस्थान आवासन मण्डल एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटन एवं नीलामी द्वारा विक्रय किये गये भूमि/भवनों से प्राप्त विक्रय राशि का 15 प्रतिशत के स्थान पर 25 प्रतिशत हिस्सा नगर निगम को हस्तांरित किया जावेगा। यह व्यवस्था वर्तमान राज्य सरकार का आदेश जारी होने की तिथि से लागू की जावे। आवंटन एवं नीलामी द्वारा विक्रय किये गये भूमि/भवनों से प्राप्त विक्रय राशि में से भविष्य में देय 25 प्रतिशत राशि में से 12.5 प्रतिशत राशि प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में नगर निगम को हस्तान्तरित की जावेगी। शेष 12.5 प्रतिशत राशि का समायोजन राजस्थान आवासन मण्डल एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम, जयपुर के क्षेत्र में सहमति से पूर्व में करवाये गये विकास कार्यों में समायोजन किया जावेगा। जिससे नगर निगम की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी एवं निगम द्वारा हस्तान्तरित कॉलोनियों का पूर्ण रूप से रख–रखाव किया जा सकेगा।

(ii) उपरोक्त व्यवस्था राज्य के अन्य शहरों में भी लागू की जावेगी।

एजेण्डा संख्या 03:–राजस्थान आवसन मण्डल की अवाप्तशुदा भूमि पर सृजित एवं जयपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आने वाली गृह निर्माण सहकारी समितियों की 77 योजनाओं के संबंध में–

(i) आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्थान आवासन मण्डल की अवाप्तशुदा भूमि पर सृजित एवं जयपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आने वाली गृह निर्माण सहकारी समितियों की 77 योजनाओं चैक लिस्ट तैयार कर ली गई है। आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्रस्तावित किया गया कि उक्त योजनाऐं आवासन मण्डल की अवाप्तशुदा भूमि पर सृजित है। अतः उक्त भूमियों में आवासन मण्डल का हित निहित होने के कारण आवासन मण्डल को राज्य सरकार की नीति के अनुसार अवाप्त शुदा भूमि पर बसावट को ध्यान में रखते हुये अभियान के दौरान सहकारी समिति के सदस्यों को आवंटन का अधिकार मण्डल को दिया जावे।

(ii) आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा यह भी प्रस्ताव दिया गया कि यदि राज्य सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुसार उक्त योजनाओं में आवंटन अभियान के दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, तो आवासन मण्डल को (अ) अवाप्ति के पेटे भुगतान किये गये मुआवजे का पूर्ण पुर्नभरण (ब) आवंटन से प्राप्त राशि का 30 प्रतिशत मण्डल को दिया जावे। (स) मौके पर खाली भूमि/भूखण्डों का कब्जा मण्डल को दिया जावें। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जाना उचित होगा।

एजेण्डा संख्या 04 :–नगर निगम, जयपुर (ग्रेटर/हेरिटेज) को कचरा Transfer Station हेतु भूमि उपलब्ध करवाने बाबत्

- नगर निगम, जयपुर (ग्रेटर/हेरिटेज) द्वारा 12 स्थानों पर लगभग 4000 वर्गमीटर प्रत्येक, कचरा Transfer station हेतु स्थान की आवश्यकता बतायी। वांछित स्थान की सूची राजस्थान आवासन मण्डल व जयपुर विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करवायी जावेगी। बैठक में विचार–विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि राजस्थान आवासन मण्डल एवं जयपुर विकास प्राधिकरण उक्त प्रकार से कचरा Transfer station हेतु भूमि का चिन्हीकरण कर नगर निगम, जयपुर (ग्रेटर/हेरिटेज) को उपलब्ध करवायेगें।

एजेण्डा संख्या 05 :– नगर निगम, जयपुर (ग्रेटर/हेरिटेज) क्षेत्र में अभियान के दौरान विकास कार्य किये जाने के संबंध में –

- प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 में नगर निगम, जयपुर (ग्रेटर/हेरिटेज) क्षेत्र में किये जाने वाले विकास कार्यों के संबंध में चर्चा कर निर्णय लिया गया कि संबंधित नगर निगम के स्तर पर अभियान के दौरान प्रस्तावित सड़कों व अन्य विकास कार्यों की सूची तैयार कर राज्य सरकार को उपलब्ध करायी जावेगी। राज्य सरकार से अनुमोदित विकास कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण एवं राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निगम क्षेत्र में करवाये जायेगें। जिसके पेटे व्यय राशि का समायोजन नगर निगम, जयपुर (ग्रेटर/हेरिटेज) को देय 15 प्रतिशत (प्रस्तावित 25 प्रतिशत) में किया जावेगा।
- अभियान के दौरान प्रस्तावित विकास कार्य, यदि राज्य सरकार द्वारा संबंधित नगर निगम द्वारा ही किये जाने का निर्णय लिया जाता है, तो जयपुर विकास प्राधिकरण एवं राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा एक मुश्त राशि नगर निगम, हेरिटेज/ग्रेटर को ट्रांसफर कर दी जावेगी। जिसका समायोजन नगर निगम, जयपुर (ग्रेटर/हेरिटेज) को देय 15 प्रतिशत (प्रस्तावित 25 प्रतिशत) में किया जावेगा।

एजेण्डा संख्या 06 :– अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से अन्य बिन्दु के संबंध में–

- प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 02 अक्टूबर, 2021 को किये जाने पर विचार–विमर्श किया गया।
- कार्यक्रम स्थल पर 05 पट्टे जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा, 05 पट्टे राजस्थान आवासन मण्डल, 05 पट्टे नगर निगम (ग्रेटर) एवं 05 पट्टे नगर निगम (हेरिटेज) से वितरित करवाये जावेगें।
- समारोह का वैब टेलिकास्ट किया जावे, जिसमें समस्त स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण भाग लेगें।
- उक्त समारोह समाप्ति के पश्चात् स्थानीय निकाय के स्तर पर स्वयं का समारोह चालू रहेगा, जिसमें पट्टा वितरण किया जावेगा।
- समारोह में इन्दिरा शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में सम्मिलित 05 लाभार्थीयों को स्मार्ट कार्ड वितरण करवाये जाने का निर्णय लिया गया।
- समारोह हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण को नोड़ल ऐजेन्सी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

अंत में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत शासन विभाग, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
6. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर (ग्रेटर/हेरिटेज)
7. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
9. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
10. श्री एच.एस संचेती, प्रमुख सलाहकार, राज्य स्तरीय सलाहकार प्रकोष्ठ, नगर नियोजन विभाग।
11. नोडल अधिकारी, प्र.श.स.अभि., नगर नियोजन विभाग, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम